न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, गरौठा, झाँसी।

परिवाद संख्या- 2200/ 2022

भगवान सिंह बनाम उत्कर्ष पस्तोर।

धारा- 138 एन. आई. एक्ट

थाना- गुरसरांय, जिला- झांसी।

दिनांक- 26. 05. 2023

पत्रावली आदेश हेतु प्रस्तुत हुई। तलबी के बिन्दु पर परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व तिथि पर सुना जा चुका है। पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली पर संलग्न परिवाद पत्र के अनुसार परिवादी भगवान सिंह पुत्र जसवन्त सिंह को विपक्षी उत्कर्ष पस्तोर पुत्र आशाराम पस्तोर द्वारा दी गयी एच०डी०एफ०सी० बैंक शाखा गुरसरांय जिला झाँसी (उ०प्र०) की एक किता चैक संख्या- 000013 मु० 60,000/- (साठ हजार रुपये) दिनांकित 30. 07. 2022 के बैंक मेमोरेण्डम के अनुसार Funds Insufficient होने के कारण अनादृत होने के संबंध में उक्त वाद दायर किया गया है।

परिवादी की ओर से धारा- 200 दं. प्र. सं. में स्वयं का शपथपत्र दाखिल किया है। परिवादी के परिवाद कथानक के अनुसार उक्त प्रकरण में अभियुक्त को दिनांक 17. 09. 2022 को जरिये पंजीकृत डाक नोटिस प्रेषित किया गया था जिसे अभियुक्त द्वारा दिनांक 19. 09. 2022 को तामील किया जाना अंकित है। उपरोक्त परिवाद दिनांक 20. 10. 2022 को न्यायालय में दायर किया गया है।

परिवादी द्वारा उक्त परिवाद पत्र के समर्थन में शपथपत्र, मूल चैक सं०- 000013 मुवलिग 60,000/- रूपये (साठ हजार रूपये) दिनाँकित 30. 07. 2022 ,अभियुक्त को दिये नोटिस की प्रति, वैधानिक नोटिस की रजिस्ट्री रसीद, तामील की प्रति consignment Number RU527224411IN, आधार कार्ड की छायाप्रति एवं बैंक द्वारा जारी रिटर्न मेमोरेण्डम की प्रति दाखिल किये गये हैं।

हस्तगत प्रकरण में विपक्षी द्वारा परिवादी को एच०डी०एफ०सी० बैंक शाखा गुरसरांय जिला झाँसी (उ०प्र०) की एक किता चैक संख्या- 000013 मु० 60,000/- (साठ हजार रुपये) दिनांकित 30. 07. 2022 को दिया, जो दिनाँक 05. 09. 2022 को अपर्याप्त निधि के कारण अनादृत होकर परिवादी को प्राप्त हुआ। उक्त के संबंध में परिवादी द्वारा विपक्षी को जरिये डाक दिनाँक 17. 09. 2022 को नोटिस प्रेषित किया एवं विपक्षी पर दिनाँक 19. 09. 2022 को तामील हुआ तथा परिवादी द्वारा विपक्षी के विरूद्ध दिनाँक 20. 10. 2022 को न्यायालय में परिवाद दाखिल किया गया। ऐसी स्थिति में नोटिस प्रथम दृष्टया तामील है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के आधार पर विपक्षी **उत्कर्ष पस्तोर पुत्र आशाराम पस्तोर** को अन्तर्गत धारा- 138 एन. आई. एक्ट में तलब करने के आधार प्रथम दृष्टया पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्त **उत्कर्ष पस्तोर पुत्र आशाराम पस्तोर** को अन्तर्गत धारा- 138 एन. आई. एक्ट थाना- गुरसरांय, जिला- झांसी में विचारण हेतु जरिये सम्मन तलब किया जाता है। उपरोक्त चेक में वर्णित धनराशि मुबलिग 60,000/- (साठ हजार रुपये) हैं। **प्रकरण के दृष्टिगत उचित होगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था मै० मोटर्स एण्ड इन्सट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड व अन्य बनाम कंचन मेहता (2018) 1 SCC 560 में दिये गये निर्देशों एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी०एल० नं०- 1959/ एडमिन जी- 2 दिनांकित 13. 07. 2018 के अनुक्रम में** सम्मन में धनराशि मुबलिग 60,000/- (साठ हजार रूपये) अंकित करते हुए प्रेषित हो। यदि अभियुक्त चाहे तो परिवादी के खाते में उक्त धनराशि जमा कर उसकी सूचना न्यायालय को दे सकता है। परिवादी अपना खाता संख्या एवं आई०एफ०एस०सी० कोड अंकित करें।

पत्रावली वास्ते हाजिरी अभियुक्त दिनांक- 24. 08. 2023 को पेश हो।

परिवादी तीन दिन के भीतर पैरवी करना सुनिश्चत करे।

(सुनील शेखर)

न्यायिक मजिस्ट्रेट,

गरौठा, झांसी।